

24.07.2024

पत्रावली पेश हुई वकील प्राप्ति उपस्थित।
वकील प्राप्ति प्रकरण में न्यायालय की
अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट है
एवं आगे कार्यवाही नहीं चाहेते हैं।
वकील प्राप्ति ने नॉर-प्रेसन करने का
निवेदन किया। वकील प्राप्ति द्वारा
नॉर-प्रेसन करने के आदेश पर प्रार्थना
पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली
फॉर्मल शुमार होकर अंतग्न मूल वाद
रहा

Note
press
24/7/24


उपस्थित अधिकारी
सीपलवाडा